मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

"मंत्रालय"

क्रमांक सी 3-4/2001/3/एक

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी, 2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः—टास्क समूह क्रमांक-7 की अनुशंसा क्रमांक-4 एवं 5 पर कार्यवाही परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थाईकरण के संबंध में.

विषयः—इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-3-6/77/3/एक, दिनांक 30 मई, 77, क्रमांक 288/636/1/3/79, दिनांक 6 जून, 1979, क्रमांक 147/380/1/3/80, दिनांक 31-3-80 एवं क्रमांक सी/3-10/93/3/एक, दिनांक 16 मार्च, 1993.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-8 के उप नियम-6 के अनुसार परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक द्वारा सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि स्थाई पद उपलब्ध हो, तो स्थाई किया जायेगा, अन्यथा उस व्यक्ति के पक्ष में इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा कि उसे स्थाई पद उपलब्ध नहीं होने के कारण स्थाई नहीं किया जा सकता, किन्तु स्थाई पद उपलब्ध होते ही उसे स्थाई कर दिया जायेगा.

2. इस विभाग के संदर्भित परिपत्रों द्वारा समय-समय पर आपसे निवेदन किया जाता रहा है कि आपके विभाग के अधीन सेवाओं में परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के मामले उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार निपटाये जायें एवं जहां तक संभव हो, परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थायी करने के लिए परिवीक्षाकाल समाप्त होने के दो माह पूर्व से ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाये ताकि उनके संबंध में निर्णय परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि तक किया जा सके.

3. शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि विभागों द्वारा परिवीक्षा समाप्त करने की कार्यवाही समय पर न किये जाने के कारण संबंधित शासकीय सेवकों का स्थायीकरण नहीं हो पाता है. साथ ही, अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं. अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि कृपया परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त करने एवं उनके स्थायीकरण के संबंध में जारी किये गये संदर्भित ज्ञापनों के अनुसार कार्यवाही की जाकर ऐसे प्रकरणों का निराकरण अतिशीघ्र सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.